न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 29 सन 2025

अनवान :–

1. संजय कुमार पुत्र संतलाल जाति मोदी साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. मंयक मोदी पुत्र संजय कुमार मोदी साकिन नोहर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/06/2025

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 156/154 की कुल तादादी 5.4870 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी सं. 1 अकेला 3/5 हिस्सा एवं प्रार्थी सं. 2 अकेला 2/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 214/162 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि जिसका प्रार्थी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण पनी कृषि भूमि की पैमाईश करने हेतु प्रार्थना पत्र का आवेदन किया एंव तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा आदेश क्रमाक प्स्त/2020 दिनांक 16/4/2025 को पटवारी हल्का चक 15 बारानी तहसील नोहर को पैमाईश हेतु आदेश जारी किये गये एवं पटवारी हल्का चक 14 बारानी तहसील नोहर द्वारा पैमाईश चक के मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष करवा दिया गया है। हसीलदार राजस्व नोहर के आदेश क्रमांक प्स्त/2020 दिनांक 16/4/2025 की पालना में ग्राम चक 15 बारानी तहसील नोहर की पैमाईश जी.पी.एस. मशीन के माध्यम से पैमाईश करवा दी गई तथा फर्दे मौका पर उपस्थिति मौतबिरान को पढ़कर सुनाया गया व हस्ताक्षर करवाये गये है प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढी) करवाना चाहता है क्योंकि पडौसियान द्वारा प्रार्थीगण के लगाये पुराने पत्थरो को हटा दिया गया है तथा जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी खेत की सीमाकंन में परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थर गढी करवाकर अपनी भूमि का सही तौर से सीमाकन चाहता है इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवापाने के अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवा देवे जिस पर अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] किया गया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने [illegible] किया की प्रार्थी [illegible] सबूतों के आधार राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी स0 1 का जवाब पेश होने पर प्रार्थी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो की शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की उक्त भूमि जो की संयुक्त खाता में दर्ज है की पैमाईश करवाई जाकर निशानदेही करवाई गई थी के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 156/154 की कुल तादादी 5.4870 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी सं. 1 अकेला 3/5 हिस्सा एवं प्रार्थी सं. 2 अकेला 2/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 214/162 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि जिसका प्रार्थी सं. 1 अकेला खातेदार काश्तकार है।

सायलान/प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायलान उसी के अनुसार अपनी भूमि कीं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है सायलान का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा की गई पैमाईश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे सायलान के कथनों की पुष्टि होती है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायलान का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायलान की भूमि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 156/154 की कुल 5.4870 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 214/162 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/06/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:10:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर/2025/ 799 दिनांकः– 25/06/25

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– प्रार्थना पत्र संख्या 29 /2025 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 बाबत पैमाईश व पत्थरगढ़ी करने बाबत।

प्रार्थना–पत्र सं0 : 29 सन 2025
अनवान :–

1. संजय कुमार पुत्र संतलाल जाति मोदी साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. मंयक मोदी पुत्र संजय कुमार मोदी साकिन नोहर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 29/2025 अनवान संजय कुमार बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 25/06/2025 में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि सायलान की भूमि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 156/154 की कुल 5.4870 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 214/162 की कुल तादादी 1.2650 हैक्टर भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:10:06 IST
Reason: SelfAttested